

**मध्य प्रदेश शासन**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**  
**मंत्रालय**  
**वल्लभ भवन भोपाल-462004**

क्रमांक:एफ/19/157/2004/1/4

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2004

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,

मध्य प्रदेश

**विषय :-** अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन एवं शासकीय समारोह में वेरीकेट्स करने के लिये वन विभाग द्वारा बांस/बल्ली का प्रदाय।

—0—

जिले में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर शासकीय समारोह के दौरान वेरीकेट्स लगाने के लिये बांस—बल्ली की आवश्यकता पड़ती रहती है, तथा समय—समय एर आपके द्वारा इसकी मॉग वन विभाग से की जाती है। शासन की जानकारी में लाया गया है, कि समारोह आयोजन के समय कई बार बांस—बल्ली की टूट—फूट हो जाती है, तथा वन विभाग को सामग्री कम मात्रा में वापस की जाती है। अतः शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

1. जब भी जिले में उपरोक्त कार्य हेतु बांस/बल्ली की आवश्यकता होगी तब जिलाध्यक्ष/ पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित विभाग के जिला प्रमुख जिनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, वे अपने विभाग से संबंधित किसी अधिकारी/कर्मचारी को वन विभाग से बांस/बल्ली प्राप्त करने के लिये नामजद करेंगे तथा यह नामजद अधिकारी/ कर्मचारी वन विभाग द्वारा निर्धारित किये गये डिपो से निर्धारित मात्रा में बांस/बल्ली प्राप्त कर पावती प्राप्त करेंगे। नामजद अधिकारी/कर्मचारी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बांस/बल्ली उसी डिपो में वापस कर पावती लेंगे।
2. बांस/बल्ली परिवहन हेतु यदि वन विभाग के पास विभागीय ट्रक/ट्रेक्टर उपलब्ध होगा तो उसके माध्यम से वन विभाग स्थानीय परिवहन में आवश्यक सहयोग देगा लेकिन परिवहन की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से बांस—बल्ली उपयोगकर्ता विभाग की रहेगी।
3. बांस/बल्ली के उपयोग के उपरान्त यदि उनकी संख्या में कमी आती है अथवा टूट—फूट के कारण नुकसान होता है तो इसके लिये वन विभाग को संबंधित विभाग

के द्वारा बांस बल्ली के मूल्य का भुगतान किया जावेगा। मूल्य निर्धारण वन विभाग द्वारा किया जावेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

**सही—अजिता बाजपेयी पांडे**

**सचिव**

**मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग**

पृ.क्र.:एफ 19/157/2004/1/4

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2004

**प्रतिलिपि :-**

1. शासन के समस्त विभाग
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. प्रमुख सचिव, म0प्र0.शासन वन विभाग की ओर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि इस संबंध में क्षेत्रीय वन अधिकारियों को निर्देश जारी करें।

**सही—राजकुमार पाठक**

**उप सचिव**

**मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग**

**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश भोपाल**

पृष्ठा.कन क्रमांक निस्तार/3636

भोपाल दिनांक 9 सितम्बर 2004

**प्रतिलिपि**

- 1— समस्त वन संरक्षक मध्यप्रदेश
- 2— समस्त वन मंडलाधिकारी म0प्र0. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

**सही/**

**अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)**

**मध्यप्रदेश भोपाल**